प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
गार्गी राज रायल एकेडेमी,
श्री कृष्ण विहार हैवतमऊ मवैया,रायबरेली रोड,लखनऊ।

पत्रांक-आ0शु/ 11629 /2007-08 दिनांक- ~~फरवरी~~ मार्च 3,2008

विषय-<u>प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से 5 तक) की अस्थाई मान्यता।</u>

महोदय,

उक्त विषयक के संदर्भ में सूच्य है कि शासनादेश संख्या 984/15-6-98-18एस(7)/89 दिनांक 28 अप्रैल 1998 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति लखनऊ द्वारा आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से 5) तक की अस्थाई मान्यता वर्तमान शिक्षासत्र से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1-विद्यालय समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत नवीनीकृत रहे।
2-प्राभूत/सुरक्षित कोष के निमित्त अपेक्षित धनराशि बैंक/पो0आ0 में जमा एवं अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बन्धक रहे।
3-विद्यालय का निजी भवन हो एवं प्रत्येक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण कक्षों/क्रीड़ास्थल की व्यवस्था मानक के अनुसार की जाय।
4-विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की ही नियुक्ति विभाग द्वारा निर्धारित वेतनक्रम में की जाय तथा वेतन भुगतान चेक के माध्यम से किया जाय।
5-अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति एवं निष्कासन से इस कार्यालय की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त की जाय।
6-विद्यालय में आवश्यकतानुसार काष्ठोपकरण/शिक्षण सामग्री/विज्ञान सामग्री/क्रीड़ा सामग्री की व्यवस्था की जाय।
7-विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अनुकूल शुल्क लिया जाय।
8-शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों का ही प्रयोग किया जाय।
9-विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाए।

विद्यालय को अस्थाई मान्यता उक्त प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा रही है कि प्रतिबन्धों की पूर्ति कर शासनादेश संख्या 073/15-6-98-18एस(7)/89 दिनांक 10 सितम्बर 1998 के अनुसार (5 वर्ष में) स्थाई मान्यता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें। मान्यता की किसी भी शर्त अथवा विभागीय आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन की दशा में मान्यता समाप्त किये जाने का अधिकार विभाग को सुरक्षित होगा।

भवदीय,

1-3-08

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ।

पृ0सं0-आशु0लि0 एवं दिनांक-उक्तवत्।
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-
1-सचिव,उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।
2-मुख्य विकास अधिकारी,लखनऊ।
3-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, लखनऊ।
4-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
5-उप बे0शि0अधिकारी/नगर शि0अ0/सम्बन्धित स0बे0शि0अ0
6-कार्यालय गार्डफाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
एवं अध्यक्ष,जिला मान्यता समिति,
लखनऊ।

PRINCIPAL
GARGI RAJ ROYAL ACADEMY
Shri Krishna Vihar Colony
Lucknow

MANAGER
GARGI RAJ ROYAL ACADEMY
Shri Krishna Vihar Colony Lucknow